

प्रेस नोट दिनांक 11.07.2026 जनपद प्रतापगढ़

थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़

थाना हथिगवां पुलिस द्वारा 05 वारण्टी अभियुक्त/ अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में,

थाना हथिगवां के उ0नि0 अजय कुमार मय हमराह, म0उ0नि0 राखी सिंह, म0का0 नीलम सिंह, का0 गौरव कुमार, रि0का0 कौशलेश राव, रि0का0 विपिन यादव द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान, मा0 न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक दण्ड अधिकारी कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ द्वारा जारी गैर जमानतीय वारण्ट/ NBW मु0नं0 1995/20 धारा 352/504/506/427 भादवि थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़ से सम्बन्धित 05 वारंटी अभियुक्त/ अभियुक्ता, 1. रमेश यादव पुत्र महरानीदीन यादव, 2. मिथुन यादव पुत्र महारानीदीन यादव, 3. गोविन्द यादव पुत्र महरानीदीन, 4. सीता देवी पत्नी रामआसरे यादव उम्र करीब 40 वर्ष, 5. कलावती पत्नी स्व0 महरानीदीन यादव उम्र करीब 70 वर्ष निवासीगण ग्राम सुनियावां थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़ को क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सुनियावां के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त/ अभियुक्ता का विवरण-

01. रमेश यादव पुत्र महरानीदीन उमेश यादव उम्र करीब 32 वर्ष,
 02. मिथुन यादव पुत्र महारानीदीन यादव उम्र करीब 24 वर्ष,
 03. गोविन्द यादव पुत्र महरानीदीन उम्र करीब 25 वर्ष,
 04. सीता देवी पत्नी रामआसरे यादव उम्र करीब 40 वर्ष,
 05. कलावती पत्नी स्व0 महरानीदीन यादव उम्र करीब 70 वर्ष,
- समस्त निवासीगण ग्राम सुनियावां थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़

पुलिस टीम-

उ0नि0 अजय कुमार मय हमराह, म0उ0नि0 राखी सिंह, म0का0 नीलम सिंह, का0 गौरव कुमार, रि0का0 कौशलेश राव, रि0का0 विपिन यादव थाना हथिगवां, जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़

थाना कोहंडौर द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना कोहंडौर के उ0नि0 अनिल कुमार सिंह मय हमराह हे0 का0 अनिल कुमार द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान 01 अभियुक्त प्रदीप

कुमार मिश्रा उर्फ बच्चा मिश्रा पुत्र राधे श्याम मिश्रा नि० सुंदरपुर थाना कोहडौर जनपद प्रतापगढ़ को मकुनपुर चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. प्रदीप कुमार मिश्रा उर्फ बच्चा मिश्रा पुत्र राधे श्याम मिश्रा नि० सुंदरपुर थाना कोहडौर जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम -

उ०नि० अनिल कुमार सिंह मय हमराह हे० का० अनिल कुमार थाना कोहडौर जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा 03 वारण्टी अभियुक्त/ अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में,

थाना नवाबगंज के उ०नि० मुकेश सिंह परिहार व उ०नि० शिशिर पटेल द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान, मु०न०-87/16 अ०सं०- 164/15 धारा-354/504 आईपीसी बनाम नवल किशोर आदि थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़ से सम्बन्धित 01 वारंटी अभियुक्त दीनानाथ सरोज पुत्र सम्पति, निवासी ग्राम पासिन का पुरवा, झोकवारा, थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़ को क्षेत्रान्तर्गत उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

थाना नवाबगंज के उ०नि० मुकेश सिंह परिहार व उ०नि० शिशिर पटेल मय हमराह का० आकाश उपाध्याय व का० यादव विनित महेन्द्र व म०का० पिकी वर्ष द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान, मु०न०-15/263 अ०सं०-178/22 धारा-323/504/506/452 आईपीसी बनाम रामबहादुर सरोज आदी थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़ से सम्बन्धित अभियुक्त मलखान पुत्र राम बरन निवासी ग्राम कोराली थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़ व स्पेसल ट्रायल /78/2019 स्टेट गवर्मेण्ट ऑफ युपी Vs मो० सिरताज नवाबगंज अ०स०- 118/2018 धारा-2/3 0 एक्ट से संबंधित अभियुक्ता शहिदुन पत्नी मो० शरिफ नि ग्राम- सुन्दरनगरी थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़ को क्षेत्रान्तर्गत उनके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त/ अभियुक्ता का विवरण-

1. दीनानाथ सरोज पुत्र सम्पति, निवासी ग्राम पासिन का पुरवा, झोकवारा, थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़ ।
2. मलखान पुत्र राम बरन निवासी ग्राम कोराली थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़ ।
3. शहिदुन पत्नी मो० शरिफ नि ग्राम- सुन्दरनगरी थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम-

उ०नि० मुकेश सिंह परिहार व उ०नि० शिशिर पटेल मय हमराह का० आकाश उपाध्याय व का० यादव विनित महेन्द्र व म०का० पिकी वर्ष थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा “दुष्कर्म” के अभियोग से संबंधित वांछित 01 अभियुक्त रंजीत कुमार को गिरफ्तार किया गया-

थाना नवाबगंज पुलिस अभियुक्त को थाना क्षेत्रान्तर्गत अण्डर पास नवाबगंज के पास से गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री शिव नारायण वैस के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी नवाबगंज श्री संतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना नवाबगंज के उ0नि0 अकील अहमद मय हमराह रि0का0 रंजीत कुमार व रि0का0 सुरज सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वारण्टी, वांछित अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर धारा 69/115(2) बीएनएस थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त, रंजीत कुमार पुत्र श्यामलाल निवासी- केरावडिह थाना- नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 28 वर्ष को थाना क्षेत्रान्तर्गत अण्डर पास नवाबगंज के पास से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. रंजीत कुमार पुत्र श्यामलाल निवासी- केरावडिह थाना-नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 28 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 अकील अहमद मय हमराह रि0का0 रंजीत कुमार व रि0का0 सुरज सिंह थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़

थाना कुण्डा द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना कुण्डा के उ0नि0 राजकुमार मय हुस्बुलतलब हमराह का0 हर्षवर्धन, रि0का0 दिलीप यादव द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान, माननीय न्यायालय एन.आई.एक्ट -I प्रयागराज द्वारा जारी NBW वारंट 382/22 प्रवीण बनाम बृजलाल धारा 138 एनआई एक्ट से संबंधित 01 अभियुक्त कृष्ण कुमार पुत्र बृजलाल निवासी पुरानी बाजार थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. कृष्ण कुमार पुत्र बृजलाल निवासी पुरानी बाजार थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम -

उ0नि0 राजकुमार मय हुस्बुलतलब हमराह का0 हर्षवर्धन, रि0का0 दिलीप यादव थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।

थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़

थाना बाघराय द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना बाघराय के उ0नि0 लालजी राम मय हमराह का0 धर्मेन्द्र कुमार द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान मु0नं0 3036/2000 अ0सं0 143/99 धारा 324/504/506 भादवि से संबंधित 01 अभियुक्त कल्लू पुत्र ननकू यादव नि0 रैकवारा का पुरवा बेधनगोपालपुर थाना बाघराय प्रतापगढ़ उम्र करीब 42 वर्ष को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. कल्लू पुत्र ननकू यादव नि0 रैकवारा का पुरवा बेधनगोपालपुर थाना बाघराय प्रतापगढ़ उम्र करीब 42 वर्ष ।

पुलिस टीम -

उ0नि0 लालजी राम मय हमराह का0 धर्मेन्द्र कुमार थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना रानीगंज पुलिस द्वारा “अपहरण, दुष्कर्म, पाक्सो एक्ट” के अभियोग से संबंधित वांछित 01 अभियुक्त दीपक विश्वकर्मा को गिरफ्तार किया गया-

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा अभियुक्त को थाना क्षेत्रान्तर्गत नरसिंहगढ़ पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार व सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्वेक्षण में थाना रानीगंज प्रभारी निरीक्षक श्री विजयकान्त सत्यार्थी के नेतृत्व में थाना रानीगंज के उ0नि0 राजेश कुमार यादव मय हमराह कां0 योगेन्द्र सिंह व रि0कां0 श्याम कन्हैया सरोज द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वारण्टी, वांछित अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 137 (2)/87/65 (1) बीएनएस व 5L/6 पाक्सो एक्ट थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त, दीपक विश्वकर्मा पुत्र श्रीनाथ विश्वकर्मा निवासी ग्राम कौलापुर नन्द पट्टी थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष को थाना क्षेत्रान्तर्गत नरसिंहगढ़ पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. दीपक विश्वकर्मा पुत्र श्रीनाथ विश्वकर्मा निवासी ग्राम कौलापुर नन्द पट्टी थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष ।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 राजेश कुमार यादव मय हमराह कां0 योगेन्द्र सिंह व रि0कां0 श्याम कन्हैया सरोज थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़

थाना दिलीपपुर द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना दिलीपपुर के उ0नि0 पंकज कुमार वर्मा मय हमराह का0 जगदीश, रि0का0 अमन कुमार, कां0 राजेश कुमार यादव, रि0का0 राजा कुमार, म0का0 रेखा सिंह, म0का0 धारा सिंह द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान मु0नं0 562/2018 बनाम विकास आदि धारा 323/504/506/379/427 भादवि 3(2) va sc/st act थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त, विकास पुत्र राम मलार शर्मा निवासी ग्राम द्वारिकापुर थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 35 वर्ष को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. विकास पुत्र राम मलार शर्मा निवासी ग्राम द्वारिकापुर थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 35 वर्ष ।

पुलिस टीम -

उ0नि0 पंकज कुमार वर्मा मय हमराह का0 जगदीश, रि0का0 अमन कुमार, कां0 राजेश कुमार यादव, रि0का0 राजा कुमार, म0का0 रेखा सिंह, म0का0 धारा सिंह थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना अंतू, जनपद प्रतापगढ़

थाना अंतू पुलिस की प्रभावी कार्यवाही: हत्या के प्रयास के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त 01 अदद कुल्हाड़ी बरामद-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना अंतू पुलिस द्वारा “हत्या का प्रयास” के अभियोग से संबंधित वांछित 01 अभियुक्त दीपक विश्वकर्मा को गिरफ्तार किया गया।

थाना अंतू पुलिस द्वारा अभियुक्त को थाना क्षेत्रान्तर्गत अर्जुनपुर तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया-

प्रतापगढ़।

दिनांक 09.07.2026 को थाना अन्तू क्षेत्र के ग्राम मठिया सण्डवा चण्डिका में रास्ते के पुराने विवाद को लेकर विपक्षीगण द्वारा वादिनी के पति पर कुल्हाड़ी, लोहे की रॉड एवं लाठी से हमला कर घायल करने तथा बीच-बचाव करने पहुंची उनकी सास के साथ भी मारपीट किए जाने का आरोप लगाया गया। इस संबंध में थाना अंतू पर मु0अ0सं0 171/26 धारा 109 (1), 115 (2), 352, 351 (3), बी0एन0एस0 बनाम 03 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी अंतू श्री अभिषेक सिरोही के नेतृत्व में थाना अंतू के उ0नि0

मतगंजन मिश्रा मय हमराह रि०का० कन्हैया प्रजापति, रि०का० अंकित प्रजापति, म०रि०का० सुमन चौहान द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वारण्टी, वाछित अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर मु०अ०सं० 171/26 धारा 109 (1), 115 (2), 352, 351 (3), बी०एन०एस० थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त, राममिलन पुत्र राम बोध निवासी ग्राम मठिया सण्डवा चन्द्रिका थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 50 वर्ष को थाना क्षेत्रान्तर्गत अर्जुनपुर तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 01 अदद कुल्हाड़ी झाड़ियों में छिपाए गए स्थान से बरामद की गई।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि रास्ते के पुराने विवाद के दौरान उसने आवेश में आकर कुल्हाड़ी से वादिनी के पति के सिर पर प्रहार कर दिया तथा बीच-बचाव करने आई वादिनी के सास के साथ भी मारपीट की। अभियोग पंजीकृत होने की जानकारी मिलने पर वह फरार होने की फिराक में था कि आप लोगो ने पकड़ लिया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. राममिलन पुत्र राम बोध निवासी ग्राम मठिया सण्डवा चन्द्रिका थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 50 वर्ष ।

पुलिस टीम का विवरण-

उ०नि० मतगंजन मिश्रा मय हमराह रि०का० कन्हैया प्रजापति, रि०का० अंकित प्रजापति, म०रि०का० सुमन चौहान थाना अंतू, जनपद प्रतापगढ़ ।